भारत और दक्षिण एशियाः संतुलन से लेकर आपसी सहयोग तक?
India and South Asia: From Balancing to Bandwagoning?

ई. श्रीधरन
E. Sridharan
October 24, 2011

क्या अतीत की पिछली घटनाओं और उनके तर्क से यह संकेत नहीं मिलता कि भारत के पड़ोसियों को लेकर हमारी नीति में परिवर्तन की शुरूआत होने जा रही है, जिसमें भारत को संतुलित करने के प्रयास से लेकर लंबे समय तक भारत के साथ आपसी सहयोग भी शामिल है ? क्या कारण है कि भारत के पड़ोसी देश, खास तौर पर पाकिस्तान और कुछ हद तक बंगला देश, श्रीलंका और नेपाल भी अपने ही हित में क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर सहयोग नहीं करते? उनका व्यवहार द्विपक्षीय क्यों रहा है और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) में भारत को संतुलित करने के विविध उपायों में एक रहा है; पाकिस्तान सैन्य रूप में भारत से बराबरी करने की कोशिश में जुटा है या फिर अन्य देश गैर-सैन्य रूप में कूटनीतिक चालबाजी या असहयोग या भारत के अंदर बगावत को हवा देने या फिर क्षेत्र से अतिरिक्त मामलों को, विशेषकर चीनी सहयोग से उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं?

जब शक्ति के नये ध्रुवों का उदय होता है तो संतुलन बनाम आपसी सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के फलक पर विस्तृत बहस होती है. इससे बुनियादी रूप में यही निष्कर्ष निकलता है कि कमज़ोर देश संतुलन बनाने या आपसी सहयोग का निर्णय तभी करते हैं जब उन्हें उदीयमान ध्रुव से खतरे की आशंका होती है, भले ही उनके हित साझे हों या न हों और इसका तात्पर्य यह होता है कि उदीयमान ध्रुव द्वारा संभावित मित्रदेशों के साथ एक प्रकार का समझौते या प्रलोभन के रूप में उन्हें प्रकट या अप्रकट रूप में अलग से भुगतान किया जाता है. क्षेत्रीय सहयोग और गठजोड़ को लेकर ये देश न केवल शुद्ध लाभ बल्कि आपेक्षिक आर्थिक लाभ के प्रति भी संवेदनशील हैं, खास तौर पर तब जब समय के साथ संचयी लाभ सैन्य लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं. इसलिए व्यापार से होने वाले शुद्ध लाभ पर ध्यान केंद्रित करना काफ़ी नहीं है, बल्कि संभावित मित्रदेशों को आश्वस्त भी करना होगा कि आपेक्षिक लाभ, यदि कोई हों, तो वे किसी खतरनाक मोड़ में बदल नहीं जाएँगे. जब भारत की आर्थव्यवस्था खुली हुई नहीं थी तो पड़ोसी देशों को भारत से सहयोग करने में कोई लाभ दिखाई नहीं देता था, लेकिन भारत में उदारीकरण आने के बाद और 7 से 9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की दर प्राप्त कर लेने के बाद तस्वीर बदल गई है. क्या इस बात की संभावना है कि भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी आश्वासन के साथ-साथ आर्थिक आश्वासन का प्रलोभन देते हुए आपसी सहयोग की पेशकश करे और अन्य देशों के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ऐसे कौन-से प्रोत्साहन हैं जिन्हें देखकर वे अपनी प्रतिक्रिया दें?

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की हाल ही की बंगला देश की यात्रा ने भारत-बंगला देश सहयोग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जिसमें एक दूसरे की ज़मीन पर स्थित सीमा-पार एन्क्लेव के मुद्दे एवं सीमा विवाद को सहमतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास भी शामिल है, जो विभाजन की बिखरी विरासत का एक दर्दनाक पन्ना है.भारत के प्रति बंगला देश के सहयोगी रुख की शुरूआत अवामी लीग सरकार ने की थी और इसी रुख के फलस्वरूप भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के विद्रोहियों और अन्य आतंकवादी दलों को उसने गुप्त रूप में समर्थन देना बंद कर दिया.

इसी प्रकार अक्तूबर में नेपाली प्रधान मंत्री की भारत-यात्रा के फलस्वरूप द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार के साथ-साथ $250 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन मंजूर की गई. ये दोनों ही कदम दोनों देशों के भावुक रिश्तों को और आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगे. इसके अलावा, अक्तूबर में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान व्यापारिक और आर्थिक सहयोग करार में $2 बिलियन डॉलर की भारतीय सहायता का वचन दिया गया है. इसमें निवेश संवर्धन करार और अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा सहयोग के साथ-साथ अफ़गानिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का क्षमता-निर्माण भी शामिल है. इससे भारत के प्रति अफ़गानिस्तान के झुकाव का भी संकेत मिलता है.

पाकिस्तानी मोर्चे पर भी हाल ही में सूचना मिली है कि व्यापक संवाद प्रक्रिया की शुरूआत के एक भाग के रूप में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच जो वार्ताएँ हुईं उसके फलस्वरूप भारत से (1938 उत्पाद लाइनें) आयात की जाने वाली मदों की छोटी सकारात्मक सूची और 12,000 की लंबी नकारात्मक सूची संवेदनशील मदों की नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी कुछ आयात की जाने वाली मदों की सूची में तब्दील हो जाएगी. दूसरे शब्दों में सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MSN) के नाम के बिना भी उसीका दर्जा भारत को मिल जाएगा. इसके बदले में पाकिस्तान भारत से गैर-टैरिफ़ बाधाओं में छूट प्राप्त करना चाहता है. यदि यह उदारता दिखाई जाती है तो उदारीकरण की दिशा में यह एक पहल सिद्ध होगी, भले ही पाकिस्तान भारत के साथ आपसी सहयोग का करार न करे तो भी मैं कहना चाहूँगा कि मई, 1998 के भारत-पाक परमाणु परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में यह कदम व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में एक दीर्घकालीन परिवर्तन की नींव डालेगा.

1998 के परमाणु परीक्षण के बाद की गतिविधियों ने पाकिस्तान के विकल्पों को दो स्थितियों में बदल दिया है, दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं,जिनके कारण भविष्य में व्यापक आर्थिक सहयोग को तब तक रोक पाना कदाचित् आसान नहीं होगा जब तक कि भारत आर्थिक लाभों को सैन्य लाभों में न बदल दे. पहली स्थिति तो यह है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल की सुविधा के साथ प्रत्यक्ष रूप में परमाणु क्षमता होने के कारण पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गया है. दूसरी स्थिति यह है कि कारगिल की पराजय ने उसे यह दिखा दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत करने के लिए भारत को मजबूर करने के लिए उस पर आक्रमण करने के लिए परमाणु क्षमता को ढाल बनाना अब इतना आसान नहीं होगा.

इन स्थितियों के कारण पाकिस्तान संभावित भारतीय हमले को लेकर अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है और साथ ही कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए परंपरागत सैन्य बल को चुनौती देने में कम सक्षम रह गया है. इस दृष्टिकोण से पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक सहयोग से डरने का कोई कारण नहीं रह गया है, बल्कि इससे पाकिस्तान को लाभ ही होगा. (कश्मीर पर बातचीत करने और उसकी प्रगति को बंधक बनाने को छोड़कर व्यापार और ऊर्जा सहयोग जैसे) विभिन्न मुद्दों पर जनवरी, 2004 का समग्र संवाद इसी तर्क श्रृंखला का ही प्रतिफल था. इस नीति ने कश्मीर के मुद्दे पर भी रचनात्मक सहयोग के लिए गुंजाइश बना दी है. कश्मीर का फिर से सीमांकन करने के बजाय दोनों ओर के कश्मीर पर संयुक्त नियंत्रण और सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने के मुद्दे पर वार्ता की भी गुंजाइश रखी गई है.

.

परमाणु निवारण द्वारा भारत के प्रति सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होने के बाद पाकिस्तान के पास दो बड़े विकल्प रह जाते हैं. पहला विकल्प यह है परमाणु निवारण को परंपरागत हमले की ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाए. कारगिल के बाद सन् 2002 के बाद यह विकल्प कारगर नहीं रह गया या फिर भारत की स्थिति में बदलाव लाने के लिए आतंकवादी हमले किए जाएँ. यह दूसरा विकल्प भी, जो अब साफ़ हो जाना चाहिए कि सन् 2008 के बाद विफल हो गया. अगला विकल्प अब यही है कि इन रणनीतियों को बेकार समझ कर विश्वास निर्माण के लिए भारत के साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग किया जाए ताकि लंबे समय में भारतीय रुख को नरम किया जा सके. इस दिशा में अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन इस बात को लेकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस नीति में लगातार परिवर्तन आता जाएगा, भले ही परिवर्तन की रफ़्तार धीमी रहे.

दक्षिण एशिया आंतर-क्षेत्रीय व्यापार और भारत के कुल व्यापार में सार्क देशों का शेयर बहुत कम है. सन् 2009-10 में 2.15 प्रतिशत,निर्यात के लिए 4.69 प्रतिशत और आयात के लिए 0.57 का मामूली प्रतिशत है. भूटान को छोड़कर प्रत्येक प्रमुख पड़ोसी देश के साथ बहुत बड़ा व्यापार अधिशेष है. जब एक ओर कम आँकड़े भारत के आपेक्षिक आकार को दर्शाते हैं, वहीं ये क्षेत्रीय समन्वय प्रक्रिया की आपेक्षिक विफलता को भी दर्शाते हैं. भारत के साथ व्यापारिक सहयोग के लिए प्रोत्साहन छोटे देशों के लिए काफ़ी अधिक हैं. इसलिए उसके व्यापारिक अधिशेष (पाकिस्तान, बंगला देश और श्रीलंका से होने वाले आयात के मुकाबले भारत का निर्यात सात-आठ गुना अधिक है) से होने वाले व्यापारिक तनाव और राजनीतिक असंतोष को कम करने के लिए, अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने पड़ोसी देशों से होने वाले आयात को बढ़ाकर भारत के प्रति राजनीतिक अभिमुखीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के पास पर्याप्त मार्जिन है. आर्थिक दृष्टि से तो भारत के लिए यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है.

यदि भारत को अपने प्रति आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है तो इसकी दक्षिण एशिया की नीति में पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता और उसकी परमाणु निवारण की क्षमता और संप्रभुता खोने के खतरे और अपनी विशिष्ट पहचान बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर छोटे पड़ोसी देशों की भारत के

प्रति संवेदनशीलता के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए. इसमें गैर-पारस्परिक व्यापारिक खुलेपन जैसे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन सम्मिलित होने चाहिए, जैसे सैन्य मुद्रा और मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति उसकी नीति सहित प्रमुख खतरों से संबंधित धारणाओं के संबंध में फिर से आश्वासन. पाकिस्तान और बंगला देश की खतरे की धारणाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा; भारत को नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन घमंडी होकर नहीं. इस संबंध में बहुत अच्छी नज़ीरें हैं, 2007 की भारत-भूटान संधि, जिसमें से पुराने ढंग के प्रावधान हटा दिये गये और 1950 की भारत-नेपाल संधि में संशोधन पर विचार करने के लिए सहमति. इन दोनों ही करारों पर पुनर्विचार करने की मंशा छोटे पड़ोसी देशों ने ज़ाहिर की थी. वैसे तो सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि साझे मानकों और नीतियों की शासन-व्यवस्था अपनाई जाए. यदि सार्क में घरेलू मुद्दों पर बहस पर पाबंदी बनी रहती है तो यह भी संभव नहीं हो पाएगा. इसलिए भारतीय नीति को आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय यही होगा कि अपने पड़ोसियों के साथ अन्य प्रयासों के समानांतर ही गैर-पारस्परिक खुलेपन की भावना से द्विपक्षीय मार्ग अपनाते हुए संबंधों में सुधार लाया जाए. इन प्रयासों के अंतर्गत भारत उदीयमान दानकर्ता होने के कारण सहायता राशि दे सकता है, लेकिन इसे आतंकवाद और विद्रोह जैसी भारत की बुनियादी सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर पारस्परिकता के साथ सहयोग की भावना से किया जाना चाहिए.

ई श्रीधरन पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के भारत संबंधी उन्नत अध्ययन संस्थान में शैक्षणिक निदेशक हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>